State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

रवि परमार भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक
-सह-
सचिव स्वास्थ्य

पत्रांक :- SHSB/MCH/89/2010/14459

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सिविल सर्जन ।

पटना, दिनांक -04/02/2010

विषय :--जनसंख्या स्थिरीकरण के कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (वर्ष 2009-10)

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार का Total Fertility Rate (TFR) वर्ष 2005-06 में 4.0 था जो SRS सर्वे के अनुसार वर्ष 2008 में 3.9 है जो देश में सर्वाधिक है । वर्त्तमान परिदृश्य को देखते हुए 2051 तक बिहार की जनसंख्या दोगुनी से अधिक (19 करोड) होने की संभावना है । वर्त्तमान में बिहार राज्य की जनसंख्या एकीकृत जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है । विकास के उच्च स्तरीय मापदंड प्राप्त करने हेतु जनसंख्या स्थिरीकरण की महती आवश्यकता है । राज्य में 67 प्रतिशत लड़कीयों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है । लड़कियों की कम उम्र में शादी उच्च प्रजनन दर का एक मुख्य कारण होने के साथ-साथ उच्च शिशु मृत्यु दर (IMR) तथा उच्च मातृ मृत्यु दर (MMR) के लिए भी जिम्मेवार है ।

1. जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में बंध्याकरण एक कारगर उपाय है जिससे वास्तव में एक साथ जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ मृत्यु दर में कमी एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के 3 लक्ष्य सिद्ध किये जा सकते हैं । पिछले 2-3 वर्षों में राज्य में बंध्याकरण में प्रगति हुई है, लेकिन इसके बावजूद परिवार नियोजना ऑपरेशन की संख्या करीब 3 लाख के आसपास रही है । एक अनुमान के मुताबिक बिहार में जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष करीब 9 लाख ऑपरेशन करने की आवश्यकता है । यह विडम्बना ही है कि एक ओर परिवार नियोजन की Un met Need 40 प्रतिशत आंकी गयी हैं, अर्थात करीब 40 प्रतिशत लोग यह सुविधा प्राप्त करने को इच्छुक हैं लेकिन उन तक हम पहुच नही पा रहे है ।

2. राज्य की जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र मे कार्यरत सभी चिकित्सक कर्मीयों एवं अन्यों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है । यह महसूस किया जा रहा है कि अगर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी / सिविल सर्जन, प्रखंड स्तर पर MoIC/ परिवार नियोजन करने वाले

चिकित्सक तथा उनकी टीम, पंचायत स्तर पर मुखिया तथा गॉव स्तर पर ANM एवं आशा कार्यकर्त्ता को प्रोत्साहित कर उनकी भागीदारी बढ़ायी जाती है तो जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी ।

3. बिहार राज्य जनसंख्या पषर्द के निर्णय के आलोक में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में बंध्याकरण/नसबंदी को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रमंडल/जिला/प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अपेक्षित बंध्याकरण/नसबंदी का लक्ष्य को पूर्ण कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा ।

4. श्रेणीवार प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रम सं.	राज्य स्तर पर	वर्णन	कुल पुरस्कार राशि (रूपये में)
1.	राज्य में सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाले तीन जिले (पुरस्कार की राशि जिला पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन को देय होगा)। प्रथम जिला द्वितीय जिला तृतीय जिला	 1,00,000 75,000 50,000	 1,00,000 75,000 50,000
2.	सांत्वना पुरस्कार (दो जिले) चतुर्थ एवं पंचम (प्रत्येक जिला 40,000 रूपये)	2X 40,000	80,000
3.	राज्य में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले दो प्रमण्डल (पुरस्कार की राशि प्रमण्डल आयुक्त तथा क्षेत्रीय उप निदेशक (स्वा.) को देय होगा। (प्रत्येक प्रमंडल 1,00,000 रूपये)।	2 X 1,00,000	2,00,000
		कुल योग (अ)	5,05,000
	जिला स्तर जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले प्रखण्ड एवं पंचायत		
4.	वैसे 15 जिले जिनमें कुल प्रखण्डों की संख्या 15 से अधिक है तीन प्रखण्डों को पुरस्कृत किया जायेगा। (प्रत्येक प्रखण्ड 25,000 रूपये)	15 X 3X25000	11,25,000
5.	वैसे 23 जिले जिनमें कुल प्रखण्डों की संख्या 15 से कम है दो प्रखण्डों को पुरस्कृत किया जायेगा। (प्रत्येक प्रखण्ड 25,000 रूपये)	23 X 2X 25000	11,50,000
6.	प्रत्येक प्रखण्ड में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली पंचायत (प्रत्येक पंचायत 10,000 रूपये) प्रखण्ड की संख्या 534	534X10000	53,40,000
		कुल योग (ब)	76,15,000
	जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले चिकित्सक (सर्जन) एवं उनकी टीम		
7.	प्रत्येक जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले चिकित्सक (सर्जन) एवं टीम। 25,000 रूपये प्रति टीम (चिकित्सक को 15,000 रूपये एवं उनके शल्य क्रिया में सहयोगी कार्यकर्ताओ को 10,000 रूपये)	38 X 25,000	9,50,000
8.	प्रखण्ड में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाली आशा (प्रत्येक प्रखण्ड मे 3 आशा) सभी प्रखण्ड में, प्रथम पुरस्कार रू. 2500/प्रखण्ड द्वितीय पुरस्कार रू. 2000/प्रखण्ड तृतीय पुरस्कार रू. 1500/प्रखण्ड	 534 X 2500 534 X 2000 534 X 1500	 13,35,0000 10,68,000 8,01,000
9	प्रत्येक प्रखण्ड में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाली एक महिला स्वास्थ्यकर्ता (ए. एन. एम.) /प्रखण्ड, 2500 रूपये)	534 X 2500	13,35,000
		कुल योग (स)	54,89,000

10.	परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं लोक निजी साझेदारी को बढ़ावा देने हेतुः– प्रत्येक जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले निजी संस्थान/सर्जन • प्रथम पुरस्कार राशि 25,000 रूपये जिसने वर्ष में कम से कम 1000 बंध्याकरण/नसबंदी किया हो। • द्वितीय पुरस्कार राशि 20,000 रूपये जिसने वर्ष में कम से कम 700 बंध्याकरण/नसबंदी किया हो। • तृतीय पुरस्कार राशि 15,000 रूपये जिसने वष में कम से कम 500 बंध्याकरण/नसबंदी किया हो। (जिलों की संख्या 25 जहाँ पर निजी संस्थान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अनुबंधित हैं।	25 X 25000 25 X 20,000 25 X 15,000	6,25,000 5,00,000 3,75,000
		कुल योग (द)	15,00,000
	कुल (अ+ब+स+द)		1,51,09,000

5. इस प्रोत्साहन योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तथा उपलब्धि के आधार पर विजेता का चयन करने के लिए राज्य-स्तर पर निम्न सदस्यों की समिति बनायी जाती है :–

1. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार — अध्यक्ष
2. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार — सदस्य
3. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, परिवार नियोजन — सदस्य
4. परियोजना पदाधिकारी, जनसंख्या स्थिरता कोष — सदस्य
5. सलाहकार, परिवार नियोजन — सदस्य
6. वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार — सदस्य
7. कार्यपालक निदेशक द्वारा मनोनित परिवार नियोजन में प्रमुख NGO का सदस्य — सदस्य

यह समिति उपरोक्त तालिका के क्रमांक– 1, 2 एवं 3 के पुरस्कार हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त कर समीक्षोपरांत अपनी अनुशंसा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सौपेगी ।

6. उपरोक्त तालिका के क्रमांक–4, 5, 7 एवं 10 के पुरस्कारों के चयन के लिए जिला स्तर पर निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है :–

1. जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति — सदस्य
3. अनुमंडल पदाधिकारी — सदस्य
4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी — सदस्य
5. जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी — सदस्य
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति — सदस्य

यह समिति जिला में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रखंड, चिकित्सक (सर्जन एवं उनकी टीम), निजी संस्थान के चिकित्सकों को चयन कर अपनी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को सौंपेगी । राज्य स्तरीय समिति समीक्षोपरांत इस संबंध में अपनी अनुशंसा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपेगी ।

7. तलिका के क्रमांक–6, 8 एवं 9 के पुरस्कारों के चयन के लिए प्रखंड स्तर पर निम्नांकित समिति का गठन किया जाता है :–

1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी — अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी — सदस्य

3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी — सदस्य
4. प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक — सदस्य
5. महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका (LHV) — सदस्य

उपरोक्त समिति अपनी अनुशंसा जिला स्तरीय समिति को भेजेगी जो समीक्षोपरांत अपनी अनुशंसा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजेगी ।

8. उपरोक्त तीनों समितियां प्रमुख रूप से पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने, प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा करने एवं समीक्षोपरांत अंतिम रूप से पुरस्कारों की अनुशंसा करने के लिए जिम्मेवार होगी । पुरस्कार के इच्छुक कर्मी/मुखिया/निजी चिकित्सक इत्यादि अपने–अपने नामांकन संबंधित समिति के अध्यक्ष को 30 अप्रैल 2010 तक समर्पित करेंगे । कंडिका–7 में उल्लेखित प्रखंड स्तरीय समिति अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुशंसा जिला स्तरीय समिति को 31 मई 2010 करेगी । जिला स्तरीय समिति समीक्षोपरांत इस संबंध में अपनी अनुशंसा दिनांक– 30 जून 2010 तक सीधे कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को समर्पित करेगी ।

9. क्रमांक– 4, 5, 7 एवं 10 से संबंधित पुरस्कारों के लिए कंडिका–6 में उल्लेखित समिति अपनी अनुशंसा दिनांक– 31 मई 2010 तक राज्य स्तरीय समिति को करेगी । समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय समिति इस संबंध में अपनी अंतिम अनुशंसा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को दिनांक– 30 जून 2010 तक करेंगी ।

10. जहां तक क्रमांक–1, 2 एवं 3 पर उल्लेखित पुरस्कारों का प्रश्न है, कंडिका–5 में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति इस संबंध में प्राप्त नामांकनों की समीक्षा कर विचारोपरान्त अपनी अंतिम अनुशंसा कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को दिनांक– 30/06/2010 तक करेंगी । पुरस्कार में नगद राशि के साथ–साथ प्रमाण पत्र/स्मृति चिन्ह 11 जुलाई 2010 (विश्व जनसंख्या दिवस) के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री/स्वास्थ्य मंत्री के कर–कमलों द्वारा प्रदान किये जायेंगे । परिवार नियोजन में लगे सभी कर्मचारियों/चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से दिये जायेंगे ।

मुझे पुरा विश्वास है कि आप इसमें व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर बिहार राज्य की जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देंगे । कृपया इस संबंध में आपके जिला के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/आशा कार्यकर्त्ता/ए0एन0एम0/मुखिया एवं परिवार नियोजन ऑपरेशन करने वाले निजी चिकित्सकों को शीघ्रातिशीघ्र इस योजना से अवगत कराना सुनिश्चित करें । साथ ही पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने, प्राप्त नामांकन पत्रों की समीक्षा करने एवं समीक्षोपरांत पुरस्कार की अनुशंसा करने के लिए प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रस्तावित समिति का गठन कर इस योजना को सूचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांकः– SHSB/MCH/89/2010/14459 पटना, दिनांकः– 04/02/2010

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक:–   पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि :– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 /–
(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक:–   पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 /–
(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक:– SHSB/MCH/ 89/2010 / 14459   पटना, दिनांक:– 04/02/2010

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव,/ विकास आयुक्त की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(कार्यपालक निदेशक)

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु मार्गदर्शिकाः

अनिवार्य पात्रताः–

I. इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रखण्ड/जिला/प्रमंडल/अन्य संस्थानों को अपना–अपना प्रतिवेदन समयावधि के अन्तर्गत उचित स्तर पर समर्पित करना होगा।

II. सभी प्रखण्ड एवं जिला को इस पुरस्कार हेतु तभी विचार किया जायेगा जब उनके द्वारा उस वर्ष में परिवार नियोजन ऑपरेशन के निर्धारित लक्ष्यांक विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की होगी ।

राज्य स्तरः–

1. राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले तीन जिलों के जिला पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार की राशि में दोनों पदाधिकारी बराबर के हकदार होंगे। प्रथम जिला को 1 लाख रूपये, द्वितीय जिला को 75,000 रूपये एवं तृतीय जिला को 50,000 रूपये से पुरस्कृत किया जायेगा।
2. सांत्वना पुरस्कार के रूप में चौथे एवं पांचवे नंबर पर रहने वाले जिलों को 40,000 रूपये दिए जायेंगे।

प्रमंडल स्तरः–

3. परिवार नियोजन कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले दो प्रमंडलों को भी पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की राशि में आयुक्त तथा क्षेत्रीय उपनिदेशक (स्वा.) बराबर के हकदार होंगे। दोनों प्रमंडल को 1–1 लाख रूपये की राशि प्राप्त होगी। इस पुरस्कार हेतु उन्हीं प्रमंडलों पर विचार किया जायेगा जिस प्रमंडल ने अपना शत–प्रतिशत लक्ष्यांक प्राप्त कर लिया हो।

प्रखंड स्तर :–

4. जिलों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले प्रखण्डों को भी पुरस्कृत किया जायेगा। चयनित प्रखण्ड को 25,000 रूपये की राशि प्राप्त होगी। जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी 5,000 रूपये, सर्जन (जिन्होंने उस प्रखण्ड में सबसे अधिक ऑपरेशन किये हों) को 5,000 रूपये, स्वास्थ्य प्रबंधक को 3,000 रूपये तथा प्रखण्ड स्तर पर टीम (ऐसे पाँच कर्मी जिनका परिवार नियोजन के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है) में शेष 12,000 रूपये की राशि वितरित होगी। जो प्रखण्ड अपने जिला में जिला द्वारा दिये गये लक्ष्यांक की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रगति हासिल करेगी उस प्रखण्ड को पुरस्कार हेतु जिला द्वारा चयनित किया जायेगा।
   a. जिन जिलों में प्रखण्ड की संख्या 15 से कम है, उनमें से प्रत्येक जिले में दो प्रखण्डों को उपरोक्त पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा।
   b. जिन जिलों में प्रखण्ड की संख्या 15 अथवा उससे अधिक है, उनमें से प्रत्येक जिले में से तीन प्रखण्डों को उपरोक्त पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा।
5. प्रत्येक जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले चिकित्सक (सर्जन) को प्रोत्साहन हेतु 15,000 रूपये देय होगा। उनके साथ शल्य क्रिया में सहयोग देनेवाले अधिकतम पांच सहायकों को 2,000 रूपये प्रति सहायक की दर से 10,000 रूपये की राशि वितरित होगी। इस संदर्भ में जिला स्तरीय समिति निर्णय लेगी।

6. प्रखण्ड में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाली तीन **'आशा'** जिन्होंने परिवार नियोजन ऑपरेशन हेतु सबसे ज्यादा लाभुवकों को Mobilize किया हो उन्हें पुरस्कार की राशि क्रमशः 2500, 2000 एवं 1500 रूपये देय होगी। बंध्याकरण/नसबंदी का रिकार्ड ऑपरेशन के दौरान दर्ज किये गये रजिस्टर का संघारण लिया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रखण्ड स्तरीय समिति निर्णय लेगी।
7. प्रखण्ड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाली महिला स्वास्थ्यकर्ता (ए.एन.एम.) जिसके कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक ऑपरेशन हुए हैं तथा उन लाभुवकों को Mobilize करने में उनका सक्रिय योगदान रहा है को भी पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की राशि 2500 रूपये प्रति प्रखण्ड होगी। इस संदर्भ में प्रखण्ड स्तरीय समिति निर्णय लेगी।
8. प्रत्येक प्रखण्ड में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले पंचायत के मुखिया को भी पुरस्कृत करने का प्रावधान है। प्रखण्ड द्वारा तय किये गये लक्ष्यांक की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रगति प्राप्त करने वाली पंचायत को पुरस्कार हेतु प्रखण्ड द्वारा नामांकित किया जायेग्रा। इस संदर्भ में प्रखण्ड स्तरीय समिति निर्णय लेगी।
9. **'परिवार नियोजन' कार्यक्रम में लोक निजी साझेदारी** को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जिला में कार्यरत तीन निजी संस्थानों को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। इस श्रेणी का पुरस्कार तत्काल उन 25 जिलों में ही दिया जायेगा जहाँ पर निजी संस्थान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए अनुबंधित हैं।
   a. प्रथम पुरस्कार हेतु उसी संस्थान पर विचार किया जायेगा, जिस संस्थान ने कम से कम 1000 बंध्याकरण/नसबंदी ऑपरेशन किये हों। प्रथम पुरस्कार 25,000 रूपये देय है।
   b. द्वितीय पुरस्कार हेतु उसी संस्थान पर विचार किया जायेगा, जिस संस्थान ने कम से कम 750 बंध्याकरण/नसबंदी ऑपरेशन किये हों। द्वितीय पुरस्कार 20,000 रूपये देय है।
   c. तृतीय पुरस्कार हेतु उसी संस्थान पर विचार किया जायेगा, जिस संस्थान ने कम से कम 500 बंध्याकरण/नसबंदी ऑपरेशन किये हों। तृतीय पुरस्कार 15,000 रूपये देय है।

इन निजी संस्थाओं के पास बंध्याकरण/नसबंदी के प्रत्येक लाभार्थी के अभिलेख के साथ दम्पत्ति का पहचानपत्र यथा राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट तथा आवासीय प्रमाणपत्र यथा बिजली बिल की प्रति सिविल सर्जन द्वारा सत्यापित करा अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए। संस्था द्वारा बिना उपरोक्त पहचान पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र के पुरस्कार योजना हेतु विचार नहीं किया जाएगा। संस्था द्वारा किये गये (बंध्याकरण/नसबंदी) ऑपरेशन की सूचना संबंधित जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को लिखित रूप में 30 अप्रैल, 2010 तक प्रस्तुत करेंगे। निजी संस्थान द्वारा दिये गये लाभुकों की सूची में से 10% लाभुकों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय समिति करने के उपरांत ही संस्था को पुरस्कार योजना में सम्मिलित करने हतु विचार करेगी। उक्त निजी संस्थाओं द्वारा संघारित अभिलेख को जिला स्तरीय समिति/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण के लिए मांगने पर उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

***